जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र—यमुनोत्री में राष्ट्रीय राजमार्ग—123 से पॉलगांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनाँक 05.02.2016 (नि०ख०लो०नि०वि० बडकोट उत्तरकाशी) के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-123 से **पॉलगांव तक सम्पर्क मार्ग** के निमार्ण हेतु प्रस्तावित स्थल का निरिक्षण किया गया। संयुक्त निरिक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री मनवीर सिंह बिष्ट वन दरोगा,श्री बलदेव सिंह चौहान वन बीट आरक्षी, राजस्व विभाग कीं ओर से श्री हिम्मत सिंह असवाल राजस्व उप निरीक्षक,प्रस्तावक विभाग(लो० नि० वि० बड़कोट) की ओर से श्री खजान सिंह असवाल राजस्व उप निरीक्षक, श्री पी०एल० डोभाल सहायक अभियन्ता, कु० शिल्पी कनिष्ठ अभियन्ता, तथा ग्रम के प्रधान श्री सुभाष जगूड़ी के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतू सर्वश्रेष्ट स्थल / संमरेखण के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों / संमरेखणों के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 2100(मी0) नाप भूमि से, 50(मी0) सिविल भूमि से, 00.00(मी0) वन पंचायत से, 350 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण / स्थल के चयन में 1.470 है0 नाप भूमि, 0.035 है0 सिविल भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि, 1.015 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.750 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर / चुने गये स्थल पर 19 वृक्ष चींड प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे,जिनमें से शून्य बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे ।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 2300.00 (मी०) नाप भूमि.से, 52.00 (मी0) सिविल भूमि से, 0.000 (मी0) वन पंचायत से, 380.00(मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण / स्थल के चयन में कुल 1.61 है0 नाप भूमि, 0.0364 है0 सिविल भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि, 0.266 हैं0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.912 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेंखन पर / चुने गये स्थल पर लगभग 25 वृक्ष चीड प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे,जिनमें से शून्य बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य

वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान 78°13'56.04"E 30°47'50.70"N है । तथा समरेखण का अन्तिम स्थल पॉल गॉव है जिसका GPS मान 78°13'55.17"E 30°47'37.54"N है। चुने गये समरेखण / स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान संलग्न हैं। चयनित उपयुक्त स्थल / समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नही है।

चयनित उपयुक्त स्थल / समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा । इस समरेखण पर निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेत ु जी स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान 78°13'48.18"E, 30°47'53.52"N, तथा 78°13'55.17"E, 30°47'37.54"N हैं।

प्रतिनिधि

राजस्व उप निरीक्षक नि० ख०, लो० नि० वि० प्रभागीय वनाधिकारी बडकोट (उत्तरकाशी) हस्ताक्षराधीय बनाविकाले हस्ताक्षर वृज्कीट (उत्तरकाशी) वपर बमुना वन प्रशाब बड़कोढ अधिशासी अभियन्ता (वन विभाग) ्तिम्बि खण्ड्, स्रोतमि०वि० (प्राजस्व विभाग)

प्रतिनिधि

अपर वमुना वन प्रभाग

रवाई वन राजि बडकोट (उत्तरकाशी)

हस्ताक्षर

सहायक आमेयन्ता निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०

बडकरिते सिरकाशी

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Ex. Eng. P.W.D Barkot Uttarkashi (Uttarakhand) for diversion under FCA-1980) of 0.280 ha of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of visit Road from N.H 123 to Palulgaon. The site inspection of the land invotved in the proposal has done by me on dated ... 18-5-2016

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/unclassed/Other forests measuring 0.280 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. Yes

Whhether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If,so the details there of :- No

Whether any protected archeological/heritage site/defence establishment or any other important moument is located in the area, of, so the details thereof with NOC from competent authority, if required :- nill

- a) The user agency has not violated the provision of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. (Yes)
- b) As such, recommendation is been provided.

Recomended for sanction

(Signature)

Place :- Barkot

Date: 18-5-2016

Name (D.K Singh) &

Designation प्रभागीय वलाधिकारी

N.B

Office Seal अपर यम्ना वन प्रभाग State the purpose for which the forest land is proposed to diverted. Xx Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involvion less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.